

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 27

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	12114.62	15472.84	27587.46	12914.05	12792.84	25706.89	14225.86	16259.00	30484.86	
पूंजी	17033.19	0.00	17033.19	16943.20	0.00	16943.20	18489.14	0.00	18489.14	
जोड़	29147.81	15472.84	44620.65	29857.25	12792.84	42650.09	32715.00	16259.00	48974.00	
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान:										
आयोजना-भिन्न अनुदान										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	3601	...	14570.00	14570.00	...	12625.00	12625.00	...	15934.00	15934.00
2. रेलवे यात्री भाड़े पर कर के एवज़ में अनुदान	3601	...	570.00	570.00
3. रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अनुदान	3601	...	1.76	1.76	...	1.73	1.73
4. अन्य	3601	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज़ में अनुदान	3602	...	330.00	330.00	...	165.00	165.00	...	325.00	325.00
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम:										
आयोजना-भिन्न ऋण										
6. अर्थोपाय अग्रिम										
6.01 अदायगियां	7601	...	2000.00	2000.00	...	2500.00	2500.00	...	2000.00	2000.00
6.02 घटाइए-वसूलियां	7601	...	-2000.00	-2000.00	...	-2500.00	-2500.00	...	-2000.00	-2000.00
निवल
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण:										
7. एकमुश्त अनुदान	3601	12114.62	...	12114.62	12914.05	...	12914.05	14225.86	...	14225.86
8. एकमुश्त ऋण	7601	17033.19	...	17033.19	16768.20	...	16768.20	18314.14	...	18314.14
9. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण	7601	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00
10. संघीय उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा : @										
10.01 अदायगियां	3603	...	32487.00	32487.00
10.02 घटाइए-प्राप्तियों में से घटाई गई राशि निवल	3603	...	-32487.00	-32487.00
निवल
11. रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि में/से अंतरण	3054	...	2.81	2.81	...	2.81	2.81
अंतरण	3601	...	-1.76	-1.76	...	-1.73	-1.73
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत										
12. आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि को अंतरण	2245	1500.00	1500.00	...	2000.00	2000.00
घटाइए-आय कर/निगम कर पर अधिभार	0021	-1500.00	-1500.00	...	-2000.00	-2000.00
निवल
13. राष्ट्रीय आपदा आकस्मकता निधि से राज्यों को सहायता	3601	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00
घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	8235	-1000.00	-1000.00	...	-2000.00	-2000.00
निवल
विविध सामान्य सेवाएं										
14. ऋणों/ब्याज को बट्टे खाते डालना	2075	260.79	260.79
घटाइए-घटाई गई वसूलियां	0075	-260.79	-260.79
निवल
कुल जोड़		29147.81	15472.84	44620.65	29857.25	12792.84	42650.09	32715.00	16259.00	48974.00
ग. आयोजना परिव्यय										
विकास		बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
शीर्ष		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	16340.00	...	16340.00	15360.70	...	15360.70	18134.00	...	18134.00

विकास शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	43601	6000.00	...	6000.00	7500.00	...	7500.00	6500.00	...	6500.00
3. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	43601	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00
4. विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	43601	400.00	...	400.00	694.00	...	694.00	160.00	...	160.00
5. विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमा क्षेत्र	43601	210.00	...	210.00	210.00	...	210.00	240.00	...	240.00
6. उत्तर-पूर्व और सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल से सहायता	43601	235.00	...	235.00
7. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	43601	2500.00	...	2500.00	2350.00	...	2350.00	2800.00	...	2800.00
8. गंदी बस्ती विकास	43601	365.81	...	365.81	320.55	...	320.55	386.00	...	386.00
9. विशेष आयोजना सहायता	43601	500.00	...	500.00	300.00	...	300.00	700.00	...	700.00
10. त्वरित सिंचाई-लाभ कार्यक्रम	43601	1712.00	...	1712.00	1712.00	...	1712.00	2000.00	...	2000.00
11. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम	43601	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1500.00	...	1500.00
12. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को ऋण	43601	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00
जोड़		29147.81	...	29147.81	29857.25	...	29857.25	32715.00	...	32715.00

इस मांग में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर देय अनुदान, राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए ब्लॉक अनुदान तथा ऋण; ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को ऋण, अत्यावधिक अर्थोपाय अग्रिमों तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता आदि के लिए प्रावधान शामिल है। इस निधि की स्थापना ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पश्चात् की गई है। इसका निधियन इस प्रयोजनार्थ व्यक्तिगत आय तथा निगम आय कर पर प्रभारित अधिभार से किया जाएगा।

ग्रामीण स्तर पर स्थाई मानव विकास के लिए "प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)" नामक एक नई योजना 2000-2001 में आरम्भ की गई थी। यह स्कीम ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेय जल, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य प्लान योजना के लिए ब्लॉक अनुदानों तथा ऋणों के तहत अनुमान शामिल किए गए हैं। वर्ष 2001-2002 से ग्रामीण सड़क घटक "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत 100% अनुदान योजना के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

इस अनुदान के अंतर्गत शामिल प्रावधान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरित संसाधनों के अंतरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।